

अधिसूचना शुद्धि-पत्र

पटना, दिनांक १०/७/2016

संख्या-3/टी-01-06/2015-

/स्वा०,

विभागीय अधिसूचना संख्या 377(3)

दिनांक 06.07.2016 के कम सं०-01 के कॉलम सं०-06 में अंकित क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं प०क० प्रशिक्षण केन्द्र पटना के स्थान पर प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं प०क० प्रशिक्षण केन्द्र, शेखपुरा, पटना पढ़ा जाय ।

2. शेष यथावत् रहेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3/टी-01-06/2015- 399(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक : १०/७/2016

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/प्रभारी प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं प०क० प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, सम्बंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1,2,3,4,7,8,9,10,11 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव